सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

कृषि
..............................**विश्वविद्यालय,**

..............................**University,**

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांकः एफ.48(1)आरबी / 2013 / 2592

दिनांक : 22 मार्च, 2019

आदेश

डॉ0 बलराज सिंह को राजभवन के आदेश कमांक एफ.48(1)आरबी / 2013 / 1909–1915 दिनांक 10.03.2016 द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम 2013 की धारा 25(1) व 25(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। डॉ0 बलराज सिंह द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 26.03.2016 को कार्यभार ग्रहण किया गया। डॉ0 बलराज सिंह की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 25.03.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25(1) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25 (5) व 25(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0 / –

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांकः एफ.48(1)आरबी / 2013 / 2593 – 2600 दिनांकः 22 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ0 बलराज सिंह कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा